



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04062022-236282
CG-DL-W-04062022-236282

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4—जून 10, 2022 (ज्येष्ठ 14, 1944)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4—JUNE 10, 2022 (JYAISTHA 14, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	681	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	405	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1175	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6141
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	69
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1363
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	681	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	405	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1175	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6141
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	69
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1363
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

[नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) आयोग]

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2022

संकल्प

सं. ई.-11011/1/2018-हिंदी—नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) आयोग/योजना मंत्रालय के 04 मार्च, 2015 के संकल्प सं. ई.-11016/1/2014-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने नीति आयोग/योजना मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करने का निश्चय किया है:—

I. गठन

1. योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्ष

II. गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

2. श्री संतोष पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

3. श्री पिनाकी मिश्र, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

4. श्री हरद्वार दुबे, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

5. श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

III. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

6. श्री इरण कडाडि, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

7. डॉ. सुभाष चन्द्र, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

IV. नीति आयोग द्वारा नामित

8. मास्टर बलबीर सिंह सदस्य

9. श्री विजय कृष्ण त्रिपाठी सदस्य

10. प्रोफेसर (डॉ.) उषा सिन्हा सदस्य

11. श्री मनीष कुमार शुक्ला सदस्य

V. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

12. श्री भोज प्रकाश
महाप्रबंधक, राजभाषा
राष्ट्रीय लघु उद्योग, निगम लिमिटेड
398, सैक्टर-21बी, फरीदाबाद-121001 सदस्य

VI. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ द्वारा नामित

13. श्री कृष्णानंद झा सदस्य
व्यवस्थापक, हिंदी विद्यापीठ,
वैद्यनाथधाम, देवघर-814115 (झारखंड)

VII. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 14. श्रीमती अर्चना जैन (शर्मा) | सदस्य |
| 15. डॉ. रिपु दमन शर्मा | सदस्य |
| 16. डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह | सदस्य |

VIII. सरकारी सदस्य

- | | |
|--|------------|
| 17. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग | सदस्य |
| 20. सलाहकार (अवसंरचना), नीति आयोग | सदस्य |
| 21. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नीति आयोग | सदस्य |
| 22. वरिष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नीति आयोग | सदस्य |
| 23. सलाहकार, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, नीति आयोग | सदस्य |
| 24. सलाहकार (प्रशासन), नीति आयोग | सदस्य सचिव |
| 25. निदेशक (प्रशासन), नीति आयोग | सदस्य |
| 26. महानिदेशक, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, प्लॉट नं. 25, सेक्टर-ए-7, संस्थागत क्षेत्र, नरेला, दिल्ली-110040 | सदस्य |
| 27. महानिदेशक (विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय), नीति आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 28. मिशन निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 29. उप निदेशक (राजभाषा), नीति आयोग | सदस्य |

2. समिति के कार्य

समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों, तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार नीति आयोग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करना और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य अवधि

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्यतः 3 वर्ष का होगा:—

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण, रिक्त हुए स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।
- (घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. दैनिक भत्ता/यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

5. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिल्ली क्षेत्र में ही किया जाना अपेक्षित है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और नीति आयोग के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रेम सिंह
सलाहकार (प्रशासन)

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2022

सं. 10/4/2018-यू.3(ए)—केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर समवत विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार है।

2. और, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 21.01.2003 की अधिसूचना संख्या 9-1/2002-यू.3 के द्वारा डॉ. एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, मदुरावोयल, चैन्नई, तमिलनाडु को जिसमें (i) थाई मूगाम्बिगई डेंटल कॉलेज और अस्पताल, चैन्नई और (ii) डॉ एमजीआर इंजीनियरिंग कॉलेज, मदुरावोयल, चैन्नई शामिल हैं; तीन साल की अनंतिम अवधि के लिए समवत विश्वविद्यालय घोषित किया था। इसके पश्चात, सरकार द्वारा यूजीसी की सलाह पर, इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे की अवधि को बढ़ा दिया गया था।

3. और, डॉ एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चैन्नई के रजिस्ट्रार ने दिनांक 18.06.2018 को आवेदन किया था कि राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आरआरएमसीएच), बेंगलुरु, कर्नाटक को समवत विश्वविद्यालय के दायरे में लाया जाए। उक्त आवेदन यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अनुसरण में जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया था।

4. और, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना संख्या 10/4/2018-यू.3.ए के द्वारा राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेंगलुरु, कर्नाटक को एक घटक संस्थान के रूप में डॉ एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), चैन्नई, तमिलनाडु के दायरे में शामिल करने का अनुमोदन कर दिया था।

5. और, इस मंत्रालय की दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना की एक प्रति कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक को भी इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित की गई थी कि वे राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेंगलुरु को अपने विश्वविद्यालय के दायरे से हटाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। चूंकि कर्नाटक राज्य सरकार ने राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेंगलुरु, कर्नाटक को डॉ एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), चैन्नई, तमिलनाडु के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि यह कर्नाटक के छात्रों के लिए लाभप्रद नहीं होगा, अतः राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु ने राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को अपने दायरे से बाहर करने से इंकार कर दिया था।

6. और, इससे क्षुब्ध होकर, राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चलाने वाले मूगाम्बिगई चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष रिट याचिका सं. 7482/2020 दायर की। साथ ही, कर्नाटक सरकार ने भी शिक्षा मंत्रालय की दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए रिट याचिका सं. 9236/2020 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक ने दिनांक 03.11.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका सं. 7482/2020 को खारिज कर दिया और इस मंत्रालय की दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना को रद्द करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका सं. 9236/2020 की अनुमति दी।

7. और इसके बाद, मूगाम्बिगई चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और डॉ एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चैन्नई ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ के दिनांक 03.11.2020 के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के

समक्ष डब्ल्यूए संख्या 549/2020 और 550/2020 दायर की। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 30.11.2021 के निर्णय के द्वारा उपरोक्त रिट अपीलों का निपटारा निम्नानुसार किया:—

"अंत में मामले को यूजीसी तथा केंद्र सरकार पर छोड़ा जाता है और उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे विनियमों के विनियम 13.09 में निहित अधिदेश का पालन करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार के मत को ध्यान में रखते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 को अपीलकर्ता संख्या 3 के दायरे में शामिल करने के संबंध में निर्णय लें।"

8. और, माननीय न्यायालय के दिनांक 30.11.2021 के आदेश के अनुसरण में, यूजीसी से कहा गया था कि वे यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के खंड 13.09 के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार के मत पर विचार करें और अपनी सलाह प्रस्तुत करें। तदनुसार, यूजीसी ने दिनांक 10.03.2022 को हुई आयोग की 556वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया: —

"आयोग ने राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरु को डॉ एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), चैन्नई (तमिलनाडु) के दायरे में लाने संबंधी कर्नाटक सरकार के मत पर विचार किया और शिक्षा मंत्रालय को दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना संख्या 10/4/2018-यू3 (ए) को वापस लेने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।"

9. अतः अब, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, अपनी दिनांक 14.02.2019 की अधिसूचना संख्या 10/4/2018-यू3 (ए) को वापस लेती है, जिसके द्वारा राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरु, कर्नाटक को डॉ एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), चैन्नई, तमिलनाडु के तहत लाया गया था।

विजयलक्ष्मी महादेवन
अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING
[NITI (NATIONAL INSTITUTE FOR TRANSFORMING INDIA) AAYOG]

New Delhi, the 5th May 2022

RESOLUTION

No. E-11011/1/2018-Hindi—In supersession of NITI (National Institute for Transforming India) Aayog/ Ministry of Planning Resolution No. E-11016/1/2014-Hindi, Dated 04 March, 2015, The Government of India has decided to constitute the Hindi Advisory Committee of the NITI Aayog/Ministry of Planning in the following:—

I. COMPOSITION

- | | |
|--|----------|
| 1. Minister of State (Independent Charge) for Ministry of Planning | Chairman |
|--|----------|

II. NON-OFFICIAL MEMBERS

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | |
|--|--------|
| 2. Shri Santosh Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 3. Shri Pinaki Mishra, Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 4. Shri Hardwar Dubey, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |
| 5. Shri Rambhai Harjibhai Mokariya, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |

III. NOMINATED BY THE PARLIAMENTARY COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

- | | |
|--|--------|
| 6. Shri Iranna Kadadi, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |
| 7. Dr. Subhash Chandra, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |

IV. NOMINATED BY THE NITI AAYOG

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 8. Master Balbeer Singh | Member |
| 9. Shri Vijay Krishn Tripathi | Member |
| 10. Prof. (Dr.) Usha Sinha | Member |
| 11. Shri Manish Kumar Shukla | Member |

V. NOMINATED BY KENDRIYA SACHIVALAYA HINDI PARISHAD

- | | |
|--|--------|
| 12. Shri Bhoj Prakash
General Manager (Official Language)
National Small Industries Corporation Limited
398, Sector-21B, Faridabad-121001 | Member |
|--|--------|

VI. NOMINATED BY AKHIL BHARTIYA HINDI SANSTHA SANGH

- | | |
|---|--------|
| 13. Shri Krishnanand Jha
Manager, Hindi Vidyapeeth,
Vaidyanath Dhamm, Devghar-814115 (Jharkand) | Member |
|---|--------|

VII. NOMINATED BY THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 14. Smt. Archana Jain (Sharma) | Member |
| 15. Dr. Ripu Daman sharma | Member |
| 16. Dr. Abhishek Pratap Singh | Member |

VIII. OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|--|--------|
| 17. Secretary, Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs | Member |
| 18. Joint Secretary, Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs | Member |

19.	Chief Executive Officer, NITI Aayog	Member
20.	Advisor (Infrastructure), NITI Aayog	Member
21.	Additional Secretary & Financial Advisor, NITI Aayog	Member
22.	Senior Advisor, Science & Technology, NITI Aayog	Member
23.	Advisor, Natural Resources & Invoironment, NITI Aayog	Member
24.	Advisor (Admn), NITI Aayog	Member Secretary
25.	Director (Admin), NITI Aayog	Member
26.	Director General, National Institute of Labour Economics Research & Development, Plot No.-25, Sector-A-7, Institutional Area, Narela, Delhi-110040	Member
27.	Director General, DMEO, Niti Aayog, New Delhi.	Member
28.	Mission Director, Atal Innovation Mission, Niti Aayog, New Delhi	Member
29.	Deputy Director (OL), NITI Aayog	Member

2. FUNCTION OF THE COMMITTEE

The function of the Committee will be to review the position and tender advice in regard to progressive use of Hindi for official purpose in the NITI Aayog, it's attached and subordinate offices etc. in accordance with the constitutional provisions regarding Official Language, policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti, Official Language Act & Rules and instructions & directions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on the subject.

3. TENURE.

The term of the Committee will be three years from the date of formation provided that:—

- Members of Parliament who are the members of the Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.
- Ex-officio Members of the Committee shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Committee.
- If a vacancy arises, on the Committee due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term for rest duration.
- Tenure of the Committee can be extended or curtailed in the special circumstances.

4. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

Non Official members of the Committee will be paid Travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Committee at the rates prescribed as per O.M.No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

5. GENERAL

Headquarter of the Committee will be at New Delhi and And the meeting of Hindi Salahkar Samiti is expected to be organized in Delhi region only.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administration, All Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay & Accounts Office of NITI Aayog, all attached and subordinate offices of the NITI Aayog.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PREM SINGH
Advisor (Admin.)

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 24th May 2022

No. 10/4/2018-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an institution deemed-to-be-university.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. MGR Educational and Research Institute, Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu consisting of (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai; and (ii) Dr. MGR Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, for the provisional period of three years. Subsequently, the status of deemed to be University was extended by the Government, on the advice of UGC.

3. And whereas, an application was submitted by Registrar, Dr. MGR Educational & Research Institute, Chennai on 18.06.2018 for inclusion of RajaRajeswari Medical College & Hospital (RRMCH), Bengaluru, Karnataka under the ambit of the deemed to be University. The application was sent to UGC for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.10/4/2018-U3.A dated 14.02.2019, on the advice of the UGC, accorded its approval for inclusion of RajaRajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under ambit of Dr. MGR Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu as Constituent Institution.

5. And whereas, a copy of this Ministry's Notification dated 14.02.2019 was also endorsed to the Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, Karnataka with request to take necessary action towards disaffiliation of RajaRajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru from its ambit. Since the State Government of Karnataka rejected the proposal of the Dr. MGR Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu for inclusion of RajaRajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under its ambit citing the reason that it will not benefit the students of Karnataka, Rajiv Gandhi University of Health Science, Bengaluru denied disaffiliating RajaRajeswari Medical College & Hospital from its ambit.

6. And whereas, aggrieved by this, Moogambigai Charitable and Educational Trust running Rajarajeswari Medical College and Hospital filed W.P. No.7482 of 2020 in the Hon'ble High Court of Karnataka. At the same time, the Government of Karnataka also filed W.P. No.9236/2020 challenging the ambit Notification dated 14.02.2019 of Ministry of Education. The Hon'ble High Court of Karnataka vide order dated 03.11.2020 dismissed W.P. 7482/2020 and allowed W.P. 9236 of 2020 filed by the State Government of Karnataka quashing this Ministry's Notification dated 14.02.2019.

7. And further whereas, Moogambigai Charitable and Educational Trust and Dr. M.G.R. Educational and Research Institute Chennai filed W.A. No.549/2020 and 550/2020 in Hon'ble High Court of Karnataka challenging the order dated 03.11.2020 of Hon'ble Single Bench of Karnataka High Court. The Hon'ble Division Bench of Karnataka High Court vide Judgement dated 30.11.2021 disposed of the above Writ Appeals holding the following:—

"In the result, the matter is remitted to the UGC as well as the Central Government with a direction to comply with the mandate contained in Regulation 13.09 of the Regulations and to take a decision with regard to inclusion of the Appellant no. 2 under the ambit of the Appellant no. 3 by a speaking order after taking into account the views of the State Government within a period of two months from the date of receipt of the certified copy of this order".

8. And whereas, pursuant to the Order dated 30.11.2021 of the Hon'ble Court, UGC was asked to consider the views of State Government of Karnataka as per Clause 13.09 of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and furnish its advice. Accordingly, UGC considered this matter in its 556th Commission meeting held on 10.03.2022 in which the following resolution was passed:—

"The Commission considered the views of the Government of Karnataka on the inclusion of Raja Rajeswari Medical College and Hospital, Bengaluru under the ambit of dr. M.G.R. Educational and Research Institute

(Deemed to be University), Chennai (TN) and decided to recommend to the Ministry of Education for withdrawal of the Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14.02.2019.”

9. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby withdraws its Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14.02.2019 vide which RajaRajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka was brought under the ambit of Dr. MGR Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN
Under Secretary